Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 1 || January 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.18405194

महाराष्ट्र की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

डॉ. प्रभाकर गणपतराव जाधव[1]

शोध सार: दुनिया के सभी संप्रभु राष्ट्रों में शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में दोनों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुरुषों की भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। इसमें महिलाओं का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए, महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक भागीदारी की एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण आवश्यक है जो सिर्फ जागरूकता और क्षमता से कहीं अधिक हो। निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी, लिए गए निर्णयों पर नियंत्रण तथा निर्णयों का कार्यान्वयन राजनीति के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, मनोरंजन आदि के विकास में योगदान देता है। इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बिना महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के परिणाम दिखाई नहीं देंगे।प्रस्तुत लेख के माध्यम से हम भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य विधानसभा और स्थानीय स्वशासन निकायों, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में महिलाओं की भागीदारी और इसके परिणामस्वरूप हुए राजनीतिक सशक्तिकरण की जांच करेंगे। इस बात पर प्रकाश डाला गया है। वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। इसलिए, महिलाओं के सशक्तिकरण का स्तर बढ़ा है। यद्यपि उनके अधिकार बढ़ गए हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रयास उतने नहीं बढ़े हैं जितने कि भागीदारी प्रक्रिया में बढ़े हैं। वे अभी तक पूरी तरह से मजबूत नहीं हुए हैं।

बीज शब्द: राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी, कल्याणकारी राज्य में भूमिका और राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण

प्रस्तावना

महिलाएं, जो समाज का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, पश्चिमी वैचारिक प्रबुद्धता द्वारा उपेक्षित की गई हैं। 20वीं सदी तक किसी ने इन हाशिए पर पड़े समूहों के सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं दिया। हालाँकि, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महिला मुक्ति और सशक्तिकरण का विषय विद्वानों, समाज सुधारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के लिए अधिक रुचि का विषय बन गया। इससे दुनिया भर में, विशेषकर भारत और महाराष्ट्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास शुरू हुए। तो, महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसी है? यहां प्रस्तुत शोध पत्र में इस शोध को जानने का प्रयास किया गया है।

विश्व के इतिहास पर नजर डालें तो अधिकांश संस्कृतियां पुरुष-प्रधान रही हैं। यह पूरी तरह से लिंग आधारित भावना पर आधारित है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है कि "देवता वहीं पूजे जाते हैं और वहीं आनंद मनाते हैं" और दूसरी ओर कहा गया है कि "महिलाएं स्वतंत्रता की स्वामिनी हैं" और इस प्रकार उनकी अपनी स्वतंत्रता को नकारना उचित है। स्त्री में अधिक बुद्धि नहीं होती, वह शारीरिक रूप से कमजोर और नाजुक होती है। इसलिए वह सार्वजनिक जीवन में टिक नहीं सकतीं। उसका अस्तित्व केवल "माँ और बच्चे" के लिए होना चाहिए। जैसे-जैसे इन विचारों को समाज में स्वीकृति मिलती गई, महिलाएं अपनी स्वतंत्रता, अधिकारों, कर्तव्यों और निर्णय लेने की

[1]

प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होती गई। उनके मन में यह व्यापक धारणा थी कि महिलाएं समाज में प्रजनन मशीन के रूप में कार्य करती हैं। 19वीं शताब्दी तक इस प्रवृत्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया।

हालाँकि, 20वीं सदी की शुरुआत से, नारीवादी आंदोलन की पहल के माध्यम से वैश्विक स्तर पर मुक्ति की एक मजबूत भावना उभरने लगी। उन्होंने समाज सुधारक, साहित्यिक और धर्मार्थ संगठन की शुरुआत की। (भारत में महर्षि कर्वे, वी.आर. शिंदे, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, गोपाल गणेश आगरकर आदि लोगों ने महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अभियान चलाया और महिलाओं की मुक्ति का काम जारी रखा।) 1949 में पश्चिमी नारीवादी लेखिका सिमोन डी बुइस ने "द सेकेंड सेक्स" नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने महिलाओं के दर्द और अपमान को सशक्त ढंग से चित्रित किया। 1960 के बाद महिला मुक्ति संघर्ष में इस पुस्तक का प्रभाव अधिक प्रेरणादायक और प्रभावी हो गया। इसी समय, बुलस्टन क्राफ्ट के विन्डिकेशन ऑफ़ ऑल द राइट्स ऑफ़ द वूमन, बेट्टी फ्रीडन के **"फेमिनिन मिस्टिक"**, जर्मन ग्रियर्स के **"द फीमेल अनक्शन"**, केट मिलेट के "सेक्सुअल पॉलिटिक्स" और फ़ायरस्टोन के "द डायलेक्टिक ऑफ़ सेक्स" जैसे नारीवादी लेखकों के साहित्य के माध्यम से अमेरिका और यूरोप में महिला स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कई आंदोलन और आंदोलन निर्माण हुये। नतीजतन, उन सभी राज्यों के लिए जो खुद को कल्याणकारी राज्य मानते थे, महिलाओं को अधिकार और सुविधाएँ प्रदान करना अपरिहार्य हो गया। उसके बाद, यह आंदोलन महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगा।

यहां तक कि पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के प्रति रवैया अत्यंत प्रतिकूल था। यह सर्वविदित है कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी महिलाओं को वोट का अधिकार हासिल करने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका जैसे उन्नत और विकसित राष्ट्र में पिछले ढाई सौ वर्षों में एक भी महिला राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंच सकी है। यहां तक कि ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे विकसित देशों में भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। चीन जैसे साम्यवादी देशों में आंदोलन में भागीदारी की दर अभी भी बहुत कम है। आज के समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकतांत्रिक, कल्याणकारी और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्थाएं इस पुरुष-प्रधान संस्कृति की मानसिकता से उभरती हुई नहीं दिखती हैं। इस व्यवस्था में महिलाएं इसी बात की शिकायत कर रही हैं।

तक्ता क्र.1

विश्व के प्रगत देश में महिलांओं का राजकीय सहभाग

अ. क्र.	देश	महिलांओ के राजकीय सहभागिता का प्रमाण
1	अमेरिका	5.3
2	फ्रांस	9.9
3	कॅनडा	19.0
4	इंग्लंड	6.3

स्रोत:- दै. मराठवाडा 28 ऑगस्ट 1997

उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि विश्व में उन्नत माने जाने वाले पश्चिमी देशों में भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के प्रति भारी उदासीनता है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दुनिया भर के विभिन्न देशों की विधानसभाओं द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित किए गए हैं। ऐसे देश में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण कैसा है? इसे निम्नलिखित आँकड़ों से देखा जा सकता है।

Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 1 || January 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.18405194

तक्ता क्र.2

विश्व के विविध देशो में महिलांओ का राजनितिक आरक्षण का प्रमाण

अ. क्र.	राष्ट्र	महिलांओ के राजनितिक आरक्षण का प्रमाण
1	नेपाळ	33
2	पाकिस्तान	22
3	बांग्लादेश	14
4	रवांडा	56
5	फ्रांस	18.5
6	ऑस्ट्रेलिया	27
7	फिलिपिन्स	21
8	स्विझरलॅंड	28
9	ब्रिटन	20
10	जर्मनी	33
11	स्वीडन	47
12	स्पेन	36

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दुनिया भर के विभिन्न देशों में आरक्षण नीतियां अपनाई जा रही हैं। रवांडा जैसे छोटे देश में महिलाओं को औसत से अधिक आरक्षण प्रदान करके राजनीति को सशक्त बनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया (56)। यह बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। यहां तक कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। हालाँकि भारत में विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक 2024 में पारित किया गया। वर्तमान में भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है। 1980 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें कहा गया है कि "महिलाएं विश्व की आधी आबादी का गठन करती हैं, लगभग दो-तिहाई कार्य घंटे करती हैं, विश्व की आय का दो गुना प्राप्त करती हैं तथा विश्व की आय का सौवां हिस्सा से भी कम प्राप्त करती हैं", फिर भी वास्तविकता यह है कि आज अधिकांश महिलाएं अशिक्षित हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं।

कई एशियाई देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में कुछ महिलाएं देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन रही हैं। उदाहरण के लिए। श्रीलंका - भंडारनायके, पाकिस्तान - बेनजीर भुट्टो, बांग्लादेश - शेख हसीना बेगम, भारत - इंदिरा गांधी और श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती मुर्मू, फिलीपींस - ओराओ महिला देशों के राष्ट्राध्यक्ष का पद संभाल चुकी हैं। विकासशील देशों में महिलाएं सर्वोच्च पदों पर पहुंच गयी हैं। इसके बावजूद, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी हासिल नहीं हो पाई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1996 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में, महिलाओं के लिए क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले और उनमें भाग लेने वाले देशों में भारत 93वें स्थान पर है।

आज भी, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में वैश्विक राजनीति में बहुत कम प्रगति हुई है। हाल ही में 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण से एक अवलोकन सामने आया है। इसका अर्थ यह है कि विश्व भर में लगभग 107 देशों में महिलाएं अभी भी नेतृत्व की स्थिति में नहीं हैं। 2024 में दुनिया भर के कम से कम 63 देशों में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव होंगे। इसमें महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिखता।

Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 1 || January 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.18405194

भारत में महिला मुक्ति आंदोलन और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में सामाजिक आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना है। पारंपरिक व्यवस्था में एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर लगातार अन्याय किया जाता रहा। इसके खिलाफ सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन होना चाहिए। इसी कारण हमारी सामान्य समझ से सामाजिक क्षेत्र में अनेक आंदोलन उभरे। इसकी शुरुआत राजाराम मोहन राय की पहल से हुई। उनके द्वारा स्थापित महिला मुक्ति आंदोलन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने, बाल विवाह का विरोध करने, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देने, महिला शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मांगों के साथ पूरे भारत में काम करना शुरू कर दिया। उस विचार को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, दादोबा पांडुरंग, विष्णु शास्त्री पंडित, भंडारकर, रानाडे, पंडिता रमाबाई, महर्षि कार्य वी.आर. शिंदे, ताराबाई शिंदे आदि ने इस विचार को आगे बढ़ाया। समाज सुधारकों ने महिला मुक्ति आंदोलन के माध्यम से जागरूकता और प्रबोधन पैदा किया। इतना ही नहीं, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता के लिए आंदोलन खड़ा करके सुधारवादी आत्म-मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ताराबाई शिंदे जैसी विद्रोही लेखिका ने "स्त्री पुरुष समानता " नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने समतावाद को एक नया अर्थ दिया। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक सशक्त घोषणापत्र प्रकाशित किया। इस पुस्तक को लिखकर उन्होंने सुधारवाद के नाम पर महिलाओं के मुक्ति संघर्ष को रास्ता दिखाया।

इस बीच, महाराष्ट्र समेत भारत में महिला मुक्ति आंदोलन की मानवतावादी और समतावादी प्रकृति जोर पकड़ रही थी। इस आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए अंग्रेजों ने 1829, 1856, 1872 और 1891 के अधिनियमों के माध्यम से भारत में सुधारवादी नीति लागू की। इस प्रकार, एक तरह से भारत में नारीवादी आंदोलन पुनर्जीवित हो गया। इस नीति से मानवतावाद, समतावाद और सुधारवाद के बीच उचित संतुलन विकसित हुआ। इससे नारीवादी मुक्ति आंदोलन के लिए काम करने की ऊर्जा पैदा हुई। परिणामस्वरूप, महिला मुक्ति आंदोलन को वैचारिक और संगठनात्मक ताकत मिलनी शुरू हो गई। यह आंदोलन संगठनात्मक स्तर पर आकार लेने लगा। महिलाओं की मुक्ति के लिए लड़ने के लिए कई महिला संगठन उभरे। ये तीन प्रकार के थे। पहले प्रकार के संगठन वे हैं जो समाज सुधारकों के सहयोग से बनाये गये हैं। उदाहरण के लिए। ब्रह्म समाज के अंतर्गत स्वामी कुमारी ने 1886 में कलकत्ता में एक महिला संगठन की स्थापना की तथा पंडिता रमाबाई ने 1892 में पुणे में 'शारदा सदन' नामक संगठन की स्थापना की।

दूसरे प्रकार के संगठन महिला मुक्ति संगठन हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से उभरे हैं। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत भारत महिला परिषद की स्थापना की गई। तीसरे प्रकार में, महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय का विरोध करने के लिए आगे आईं महिलाओं ने महिला मुक्ति के लिए लड़ने के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की। 1910 में अहमदाबाद में सरलादेवी ने भारत स्त्री मंडल, श्रीमती दोरोची निन्राजदार ने महिला कल्याण संघ, मेहरीबाई टाटा ने महिला कल्याण संघ तथा कई अन्य महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में महिला संघर्ष के लिए नेतृत्व समूह गठित किए। इसलिए कई छोटे-छोटे महिला आंदोलनों और आंदोलनों ने इस लड़ाई को निरंतरता देने की कोशिश की। इन सभी ने अपने मंचों से महिला मुक्ति आंदोलन की ताकत को और मजबूत किया तथा महिला अधिकारों की मांग को समाज के सामने रखा।

एक ओर, इस आंदोलन ने महिला मुक्ति संघर्ष का निर्माण किया। दूसरी ओर, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। महिला मुक्ति आंदोलन ने हमारे स्तर पर महिलाओं को संगठित करने तथा उन पर हो रहे अन्याय के साथ-साथ राष्ट्र पर विदेशियों के वर्चस्व के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए प्रेरणा प्रदान की। यही कारण है कि गांधीजी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन में भी महिलाएं पीछे नहीं रहीं। महिलाओं ने खादी आंदोलन, विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के सामने प्रदर्शन, नमक सत्याग्रह और चालेजाव आंदोलन जैसे सभी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। नमक सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने कुल 30,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया। उनमें 17,000 महिलाएं थीं और वे देशभक्त थीं जो महिला मुक्ति आंदोलन से आगे आई थीं।

स्वतंत्रता के बाद का काल और महिलाओं की भागीदारी:-

सामान्यतः बीसवीं सदी में महिला मुक्ति आन्दोलन की यात्रा सुधारवाद से परिवर्तनवाद की ओर रही है। महिलाओं के विरुद्ध अन्याय का समाधान करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुरुषों के साथ महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, अधिकारों का उचित वितरण और महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता के विचार के साथ उदारवादी और समतावादी विचारधारा से लेकर वर्ग संघर्ष की विचारधारा तक नई भूमिकाएं लेते हुए महिला मुक्ति आंदोलन अधिक सक्रिय हो गया। इस महिला मुक्ति आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से शुरू हुआ। यहां तक कि संविधान के प्रारूपण के दौरान भी, पंद्रह महिला नारीवादियों ने संविधान सभा में योगदान दिया था। इनमें हंसा मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, दक्षायनी वेलायुधन, राजकुमारी कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, लीला रॉय, सुचेता कृपलानी, बेगम रसूल, रेणुका रॉय, पुराणिम बनर्जी, कमला चौधरी, अन्नाई मस्कारेन जैसी महिलाओं ने आजादी के बाद भी महिला मुक्ति आंदोलन की लड़ाई जारी रखी।

हकीकत में, महिलाएं, जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से पुरुषों के साथ मिलकर काम करती रही हैं, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत पीछे रह गई हैं। स्वतंत्रता के बाद के युग में भी भारत और महाराष्ट्र में महिलाएं सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं थीं। सरोजिनी नायडू, प्रमिला दंडवते, ताराबाई साठे, मृणाल गोरे जैसी कई महिलाएं राजनीति में सक्रिय थीं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी भारतीय संविधान ने वयस्क मताधिकार के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के समान अवसर प्रदान किये। फिर भी, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में वास्तव में मौजूद प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज व्यवस्था में 33% आरक्षण प्राप्त हो चुका है। बाद में इसमें सुधार होकर यह 50 प्रतिशत हो गया। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा और संसद में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के संबंध में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत हिस्सा (महिला) वर्ग कई वर्षों से राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से वंचित रहा है। यदि हम इस पृष्ठभूमि में महिला मुक्ति आंदोलन पर विचार करें, तो पिछले तीन दशकों में स्थानीय स्वशासन निकायों में आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रियता की स्थिति क्या है? यह विश्लेषण वर्तमान शोध पत्र में किया गया है।

आम चुनाव और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की दर:-

महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक निर्णय लेने में भागीदारी की अवधारणाएं पिछले दो दशकों में महिला मुक्ति आंदोलन की चेतना से उभरी हैं। महिला सशक्तिकरण को मापना महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषकर मानव विकास सूचकांक निर्धारित करते समय। साथ ही, भारतीय संसद ने भी महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से समय-समय पर कई कानून पारित किए हैं, जिससे महिलाओं को लाभकारी एवं नैतिक आधार मिला है। हालाँकि, ये कानून महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यहां तक कि केन्द्रीय विधानमंडल में भी, आज तक हुए आम चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 8 से 14 प्रतिशत ही रहा है (देखें तालिका 03)। यहां तक कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी यह अनुपात 6 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है (देखें तालिका 05)।

वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात लगभग 26 प्रतिशत प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और महिलाओं को वास्तव में प्राप्त प्रतिनिधित्व के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसका मुख्य कारण यह है कि 1970 तक सभी राजनीतिक दलों का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण सीमित था। कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओं का है। कुल मतदाताओं में से डाक द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत ही राजनीति में उनकी भागीदारी की सीमा है। यह दृश्य निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है।

Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 1 || January 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.18405194

तक्ता क्र 3

लोकसभा एंव राज्यसभा सदन **में महिलाओ** कें प्रतिनिधित्व

अ. क्र.	वर्षे	लोकसभा सदन			राज्यसभा सदन		
		लोकसभा सदस्य	महिला सदस्य	प्रतिनिधित्व का प्रमाण (%)	राज्यसभा सदस्य	महिला सदस्य	प्रतिनिधित्व का प्रमाण (%)
1	1952	499	22	4.4	219	16	7.3
2	1957	500	27	5.4	237	18	7.5
3	1962	503	34	6.8	238	18	7.5
4	1967	523	31	5.9	240	20	8.3
5	1971	521	22	4.2	243	17	7.0
6	1977	544	19	3.4	244	25	10
7	1980	544	28	7.9	244	24	9.8
8	1984	544	44	8.1	244	28	11.4
9	1989	517	27	5.3	245	24	9.4
10	1991	544	39	7.2	245	38	15.5
11	1996	543	39	7.2	245	20	9.0
12	1998	543	43	7.9	245	15	6.1
13	1999	545	49	9.0	245	19	7.8
14	2004	545	45	8.2	245	28	11.8
15	2009	545	59	10.8	245	21	8.57
16	2014	545	64	11.0	245	31	12.76
17	2019	545	78	14.0	245	26	10.8
18	2024	545	74	13.57	245	32	13.06

Source: - 2010 statistics on woman in India published on National institute of public co-operation and child development, new Delhi page 352.

Source; - एन. डी. टिव्ही इंडिया, लोकसभा के लीये चुणि हुयी महिला सांसद,दि.05 जून 2024

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 1952 से 2024 तक लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी दर पर विचार करने पर चुनावी प्रक्रिया में मतदाता के रूप में 50 प्रतिशत भागीदारी दर्ज करने वाली महिलाओं का अनुपात सदन में महिलाओं की भागीदारी दर के बराबर नहीं दिखता है। 1952 से 1980 के चुनावों तक महिलाओं की भागीदारी में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं हुई। हालाँकि, 1991 में 10वीं लोकसभा के बाद से महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। अब तक हुए 18 लोकसभा चुनावों पर विचार करें तो 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक 78 महिला सदस्य हैं। इसकी दर 14 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। हालाँकि, इस संख्या को 2024 में होने वाले लोकसभा आम चुनावों में शामिल किया गया है।

18वीं लोकसभा चुनाव में भारत भर के कुल उम्मीदवारों में से 797 महिलाएं थीं। इनमें से 74 महिला सांसद लोकसभा में सीटें जीतकर पहुंची हैं। इन 74 महिला सांसदों में से महाराष्ट्र से 08 महिला सांसद जीती हैं। [देखें तालिका क्रमांक. 4] इस बीच, राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी की तस्वीर लोकसभा जैसी ही है। 2024 में राज्यसभा में कुल 32 महिला सांसद हैं। महाराष्ट्र से पांच महिलाएं राज्यसभा सांसद के रूप में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राज्यसभा में महिलाओं की संख्या में वृद्धि से पता चलता है कि राज्यसभा में महिला सदस्यों का अनुपात बढ़ा है। 2024 के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह अनुपात 13% होने की संभावना है। यदि हम दोनों सदनों में

महिलाओं की तुलनात्मक भागीदारी पर नजर डालें तो पता चलता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात पुरुष सदस्यों की तुलना में काफी कम है।

तक्ता क्र.4

लोकसभा सदन में महाराष्ट्र के महिला सांसद कि संख्या

अनु. क्र.	निर्वाचन वर्षे	लोकसभा सदन की कुल सदस्य संख्या	लोकसभा सदन में महिला सांसद प्रतिनिधित्व की संख्या	लोकसभा में महाराष्ट्र से महिला सांसद प्रतिनिधित्व की संख्या
1	1952	499	22	4
2	1957	500	27	3
3	1962	503	34	3
4	1967	523	31	3
5	1971	521	22	3
6	1977	544	19	2
7	1980	544	28	3
8	1984	544	44	4
9	1989	517	27	3
10	1991	544	39	2
11	1996	543	39	3
12	1998	543	43	2
13	1999	545	49	2
14	2004	545	45	4
15	2009	545	59	6
16	2014	545	64	3
17	2019	545	78	6
18	2024	545	74	8

Source: - लोकमत 20 एप्रिल 2024

भारत की आजादी के बाद से भारत में हुए 18 लोकसभा चुनावों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या पर विचार करें तो पहली लोकसभा में महाराष्ट्र से 04 महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व रहा है। पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में भाग लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 04 से बढ़कर 08 हो गया है। जब संसद के दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी की बात आती है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से दबा दिया जाता है। यदि महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में निश्चित आरक्षण दिया जाए तो राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व और अधिक बढ़ जाएगा। 12 सितम्बर 1996 को 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक अल्पमत के कारण पराजित हो गया। इसके पीछे पितृसत्तात्मक संस्कृति के सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों के विरोध के कारण महिला आरक्षण विधेयक का संसद और विधानमंडल में पारित न हो पाना है। वहां बहुत शोर मच गया।

पिछली आधी सदी के अनुभव पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करने वाले भारत के लिए यह त्रासदी ही है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी दर, जो कि आबादी का 50 प्रतिशत है, 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाई है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाले राजनेताओं को तत्काल इन आंकड़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसे कई सवाल उठने लगे। दरअसल, आम जनता महिला आरक्षण के बिलकुल खिलाफ नहीं है, बल्कि राजनीतिक पुरुष वर्ग इसका विरोध कर रहा है। विधायिका में महिला आरक्षण के बारे में "सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज", "इंडिया टुडे" और वूमन पॉलिटिकल वॉच द्वारा किए गए जनमत

सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 80 प्रतिशत लोगों ने महिला आरक्षण के लिए अपना समर्थन दिखाया है। इस समर्थन को देखते हुए महिला आरक्षण विधेयक को कई बार संसद में पेश करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। आखिरकार 19 सितंबर 2023 को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संसद में 106वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक को महिला आरक्षण विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। यह विधेयक 2029 के बाद लागू किया जाएगा।

महाराष्ट्र में लोकसभा में महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व की स्थिति भी संदिग्ध बनी हुई है। महाराष्ट्र से अनुसया काले महिला लोकसभा में एकमात्र महिला प्रतिनिधि थीं। उसके बाद प्रेमलताई चव्हाण, प्रमिला दंडवते, रोजा देशपांडे, सरोज खापर्डे, मृणाल गोरे, केशर काकू क्षीरसागर, जयंती मेहता, तारा सप्रे पुष्पा देवी रूपाताई निलंगेकर, प्रभा राव, कल्पना नरहिरे, श्रीमती सूर्यकांता पाटिल, निवेदिता माने, सुप्रिया सुले, प्रिया दत्त, चित्रा गायकवाड़, रक्षा खडसे, प्रीतम मुंडे, शोभा बच्छाव, प्रतिभा धानोरकर, प्रणीति शिंदे, स्मिता वाघ, भावना गवली, पूनम महाजन, नवनीत राणा जैसी चंद महिलाओं ने ही महाराष्ट्र में महिलाओं का नेतृत्व किया है। इनका प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं राजनीतिक परिवारों से हैं। पिछले तीन लोकसभा चुनावों (2014, 2019, 2024) में महाराष्ट्र में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात कभी भी 1 से 2 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा है। महाराष्ट्र से लोकसभा में 48 प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 4 से 8 महिला प्रतिनिधि ही लोकसभा में पहुंची हैं।

तक्ता क्र. 5

महाराष्ट्र के मंत्रिमंडळ में महिला प्रतिनिधित्व 2019 एंव 2024

अ. क्र.	मंत्रिमंडल का स्वरूप	मंत्रिमंडल की कूल संख्या						महिलाओं का प्रमाण	
		महिला		पुरुष		एकूण			
		2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024
१	कॅबिनेट मंत्री	02	03	31	31	33	33	6.06	6.06
२	राज्यमंत्री	01	03	09	04	10	06	10	33.33
	एकूण	03	04	40	35	43	39	6.97	10.25

Source: - statistics of woman in India, National institute of public co-operation and child development Delhi page No. 343

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में सभी मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले कैबिनेट सदस्यों में से केवल 23% महिला मंत्री होंगी। इनमें से 15 देशों में मंत्रिमंडल में महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर है। 141 देशों में, मंत्री के रूप में कैबिनेट पदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक तिहाई से भी कम है। यह पाया गया है कि सात देशों के मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं है। उपरोक्त तालिका 5 में 2019 और 2024 में गठित मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं और पुरुषों की कुल संख्या दर्शाई गई है। 2019 के मंत्रिमंडल में कुल 10.29 में से महिलाओं की संख्या 3 (मंत्रिमंडल 02, राज्य मंत्री 01) है। इस प्रकार, 2024 के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की संख्या 04 है [मंत्रिमंडल-02, जबकि राज्य मंत्री-02]। उनका अनुपात कुल मंत्रिमंडल का 10.25 प्रतिशत है। मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम प्रतीत होता है।

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत:-

प्रगतिशील महाराष्ट्र, जो सामाजिक आंदोलनों में अग्रणी रहा है, की विधायिका में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी की स्थिति जानना अनिवार्य है। हमने 1952 से लेकर 2024 के 18वें लोकसभा चुनाव तक राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी दर और महाराष्ट्र से लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का अध्ययन किया है। महाराष्ट्र विधानमंडल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। भारत में सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और धार्मिक क्षेत्रों में सुधार और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया महाराष्ट्र की भूमि से शुरू हुई। ऐसा कहना गलत नहीं होगा. महिला शिक्षा के लिए विचार-मंथन और महिला मुक्ति की लड़ाई में महाराष्ट्र किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक सक्रिय रहा है। हालाँकि, भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष और महाराष्ट्र के गठन के 65 वर्ष बाद भी, महाराष्ट्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के स्तर में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 110 मिलियन है, जिसमें से 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। तो फिर महिलाओं का, जो आधी आबादी और मतदाता हैं, राजनीति और राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या स्थान है? इससे संबंधित विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तक्ता क्र. 6

महाराष्ट्र विधानसभा में महिला प्रतिनिधीत्व का प्रमाण 1937 – 2024

अ. क्र.	निर्वाचन वर्ष	विधान भवन की कुल सदस्य संख्या	चुनाव लढणेवाले मे एकूण उमेदवार की संख्या	चुनाव लढणेवाले महिला उमेदवार की संख्या	विजयी महिला उमेदवार कि संख्या	महिला प्रतिनिधित्व का प्रमाण
1	1937-39	175	-	-	7	4
2	1946-52	175	-	-	9	5.14
3	1952-56	216	-	-	15	4.7
4	1957-62	233	-	-	30	12.8
5	1962-67	264	1161	36	13	5.4
6	1967-72	270	1242	19	9	3.2
7	1972-77	270	1197	56	-	-
8	1978-80	288	1817	51	8	3.5
9	1980-85	288	1537	47	19	6.9
10	1985-90	288	2330	83	16	5.5
11	1990-95	288	3772	144	6	2.7
12	1995-99	288	4714	247	11	4.1
13	1999 -2004	288	2006	86	12	4.4
14	2004 -2009	288	2678	157	12	4.4
15	2009 -2014	288	3559	211	10	3.8
16	2014 -2019	288	3914	257	19	7
17	2019 -2024	288	3139	237	21	8
18	2024 -2029	288	4111	359	22	8

Source: - Election 1937 to 1956 Maharashtra women commission report,

Source: - Statistical report on general election 1962 to 2009 legislative assembly of Maharashtra election commission in India.

Source: - Statistical report on general election 2009 to 2024 legislative assembly of Maharashtra election commission in India.

उपरोक्त तालिका संख्या 6 के आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी दर बहुत अधिक है। 1937 से 1962 तक महाराष्ट्र विधान सभा द्विभाषी बॉम्बे राज्य में शामिल थी। इस बीच, यह स्पष्ट है कि 1952 से 56 की अवधि के दौरान, जब स्वतंत्र भारत में आम चुनाव हुए, तो द्विभाषी मुंबई राज्य के लिए चुनाव हुए। इस नवाचार में महिलाओं की भागीदारी 4.7 प्रतिशत तक पहुंच गयी। 1956 से 1962 तक चुनावों में भाग लेने वाली महिलाओं का अनुपात 30 (12.9) बढ़ गया। हालाँकि, स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद से आज तक (1962 से 2024 तक), सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसी भी चुनाव में 7 प्रतिशत से कम रहा है। 1995 के विधानसभा चुनाव में 4,714 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इनमें से 247 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। लेकिन केवल 11 (4.1) महिलाएं जीतीं। कुल महिला उम्मीदवारों में से 11 महिला उम्मीदवार विजयी हुईं। इसका अनुपात मात्र 0.5 प्रतिशत है।

महाराष्ट्र विधान परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी विधानसभा के समान ही है। साथ ही 73वें संविधान संशोधन के अनुसार लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मजबूत बनाने, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने तथा राजनीतिक सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय लिया गया। इससे भी आगे बढ़कर, स्थानीय स्वशासन निकायों (ग्रामीण) में राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने, अर्थात महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय 110वें संविधान संशोधन विधेयक (2010) के तहत लिया गया है। परिणामस्वरूप, स्थानीय स्वशासन निकायों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के कुल सदस्यों में से 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व महिला प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

तक्ता 07

स्थानिक स्वराज्य संस्था में महिला प्रतिनिधित्व

अ. क्र.	स्थानिक स्वराज्य संस्था	कुल सदस्य	महिला सदस्य	
			33 टक्के आरक्षण	50 टक्के आरक्षण
1	ग्रामपंचायत	223887	74620	111444
2	पंचायत समिति	3922	1307	1961
3	जिल्हा परिषद	1961	654	981
	एकूण	229770	76581	114386

Source: - 1. 33% प्रमाणे statistics on woman in India report, page 352

Source. 2. 50 टक्के प्रमाणे दै. लोकसत्ता 24 एप्रिल 2019

उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़े 33 प्रतिशत और 50 प्रतिशत आरक्षण पर आधारित हैं। इसमें सभी श्रेणियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें उन श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे राजनीति में, विशेषकर राजनीतिक प्रक्रिया में

महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में 34 जिला परिषद अध्यक्षों में से 17 महिलाएं होंगी। इसी तरह, कुल 351 पंचायत समिति अध्यक्ष पदों में से 176 पर महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी। कुल 27,920 सरपंचों में से 13,860 पद महिला सरपंचों के लिए आरक्षित होंगे। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में महाराष्ट्र द्वारा उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है।

वर्तमान में, अगर हम महाराष्ट्र राज्य की राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी (स्थानीय स्व-सरकार निकायों, शहरी और ग्रामीण) पर विचार करते हैं, तो 73 वें संवैधानिक संशोधन के 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के अनुसार, स्थानीय स्व-गवर्नमेंट बॉडीज (ग्रामीण) की कुल 76,581 महिलाएं। अब महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक को विधानमंडल में पारित किया गया है। विधायी परिषद। यह 114386 है। [तालिका क्र. 07) महिलाओं के एकजुट वोट को आकर्षित करने के लिए, महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं की गईं। हालाँकि, वास्तविक तस्वीर अलग है। पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की नीति पर भी विचार किया जाना चाहिए। यहां तक कि वहां भी महिलाएं नाममात्र के लिए ही निर्वाचित पदाधिकारी हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बहुत कम है। हालाँकि, तथ्य यह है कि ये निर्णय लेने की प्रक्रिया उनके परिवार के पुरुषों द्वारा उनके नाम पर की जाती है।

कुल मिलाकर, महिलाएं जनसंख्या के अनुपात में सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व हासिल नहीं कर पाई हैं। बार-बार मौखिक घोषणाओं से राजनीति और राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी नहीं बढ़ेगी। महिलाएं समाज का एक महत्वपूर्ण घटक हैं और सामाजिक परिवर्तन की लाभार्थी और वाहक हैं। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अमेरिकी नेता हिलेरी क्लिंटन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उनके अपने शब्दों में, "यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि महिलाएं अपनी आवाज खोजें और घर, कार्य स्थल, समुदाय और राष्ट्र में भागीदार और निर्णयकर्ता बनें।" इससे पता चलता है कि महिलाओं को राजनीतिक जीवन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय बनाने के लिए संसद और विधानमंडल में 33 प्रतिशत आरक्षण की तत्काल आवश्यकता है। लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है जो सभी की भागीदारी को स्वीकार करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जब तक पुरुष-प्रधान संस्कृति महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, अधिकारों की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का खुलकर समर्थन नहीं करती, तब तक इस देश का संसदीय लोकतंत्र सही मायने में प्रतिनिधि प्रणाली का रूप नहीं ले पाएगा।

संदर्भ

प्रमिला दडवते, राज्यसभेत स्त्रियांचा सहभाग दे. मराठवाडा

विनयकुमार श्रीवास्तव, जेन्डर इश्यू भारतीय राजतीति विज्ञान असोसिएशन 52 वा अधिवेशन, मेरठ

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचा अहवाल (1981-1995) मुंबई

एम.बी. तौर, महिला सबलीकरण आणि वस्तुस्थिती महिला सबलीकरण विशेषांक पुणे.

रोहिणी गव्हाणकर, मराठी स्त्रीचे राजकारणातील रुप मुंबई

डॉ. भा.ल.भोळे, भारतीय गणराज्याचे शासने, विद्या प्रकाशन नागपुर

statistics on women in India 2010 national institute of public co-operation and child development, Delhi.

Statistical report on general election, legislative assembly of Maharashtra election commission in India.

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*